प्रपत्र–4

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21.06.2016 को प्रश्नगत परियोजना के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दयाकृष्ण तिवाड़ी वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री अमरनाथ गोस्वामी राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री बिरेन्द्र कुमार कनिष्ठ अभियंता द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/ नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 1.987 है0, सिविल सोयम वन भूमि 0.771 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 कुल 2.760 है0 वन भूमि एवं 0.776 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ संरेखण को सर्वथा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम सिरकोट व परकोटी की कुल 1857 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 21 वृक्षों व नाप भूमि पर 13 वृक्षों का पातन निहित है जिनकी प्रजातिवार/ व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(बिरेन्द्र कुमार) अवर अभियंता (प्रयोक्ता एजेन्सी)	राजस्व उप निरीक्षक राजस्व विभाग प्रतिनिधि	वन दरोगा वन विभाग प्रतिनिधि
सहायक अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर (सदस्य सचिव)	वनक्षेत्र अधिकारी .... वन क्षेत्र (सदस्य)	तहसीलदार गरुड़ (सदस्य)
सहायक वन संरक्षक बागेश्वर वन प्रभाग (सदस्य)		
अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर	प्रधान/ वन पंचायत सरपंच	उपजिलाधिकारी गरुड़/ अध्यक्ष, संयुक्त निरीक्षण समिति तहसील गरुड़
प्रभागीय वनाधिकारी		जिला [illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत सिरकोट पो.औ. सिरकोट, वि.ख.– गरुड़ जनपद – बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर